

परपत्र सं०-1314115 दिनांक 20-01-2014

पत्र सं०-विधि-4(3)/सामा०निर्देश-2013-14/ 1436

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 17 जनवरी, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा शासकीय अधिसूचना सं० क०नि०-2-42/ग्यारह-9(1)2008-यू.पी.एक्ट-5-2008-आर्डर-(108)-2014 दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा लुब्रीकेन्ट्स को 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के Schedule-IV में प्रख्यापित करते हुए इस पर निर्माता/आयातकर्ता के बिन्दु पर करदेयता अवधारित कर दी गयी है। यह करदेयता कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा अवधारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध निर्माताओं को बिक्री किए जाने की दशा में 5 प्रतिशत तथा इससे पृथक को बिक्री किए जाने की दशा में 21 प्रतिशत की दर से अवधारित की गयी है।

उक्त के संबंध में लुब्रीकेन्ट्स का जो स्टॉक दिनांक 10-1-2014 को संबंधित व्यापारियों के पास आरम्भिक स्टॉक के रूप में था उसकी बिक्री किए जाने पर करदेयता की स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है-

- 1- उपर्युक्त शासकीय विज्ञप्ति के द्वारा लुब्रीकेन्ट्स पर करदेयता का बिन्दु निर्माता या आयातकर्ता (Manufacturer or Importer) अवधारित कर दिया गया है। इस प्रकार अब लुब्रीकेन्ट्स पर करदेयता इसकी निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री किए जाने के बिन्दु पर ही होगी। अन्य किसी बिन्दु पर यह कर देय नहीं होगा साथ ही यह करदेयता एकपदीय होगी।
- 2- निर्माता को 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 की उपधारा (u) में निम्नवत् परिभाषित किया गया है -

"manufacturer" in relation to any goods mentioned or described in column 2 of Schedule IV, means a dealer who, by application of any process of manufacture, after manufacture of a new commercial commodity inside the State, makes first sale of such new commercial commodity within the State, whether directly or otherwise; and includes a selling agent who makes sale of such new commodity on behalf of the person who has manufactured it;"

- 3- निर्माता की उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि इसका अभिप्राय ऐसे डीलर से है जो राज्य के भीतर निर्माण के किसी प्रोसेस के द्वारा किसी नई वाणिज्यिक वस्तु के निर्माण के पश्चात इसकी प्रथम बिक्री राज्य के भीतर सीधे या अन्यथा निष्पादित करता है। इस अन्यथा निष्पादित बिक्री में एजेंट के माध्यम से ऐसी विनिर्मित नई वस्तु की बिक्री के निष्पादित किए जाने को भी निर्माता द्वारा की गयी बिक्री ही होने की वस्तुस्थिति उक्त परिभाषा द्वारा स्पष्ट की गयी है। उक्त परिभाषा 30प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के Schedule-IV के कालम-2 में वर्णित वस्तुओं के लिए ही अवधारित की गयी है।

इस प्रकार यह परिभाषा दिनांक 10-1-2014 से लुब्रीकेन्ट्स के संबंध में भी लागू होगी क्योंकि इस तिथि से लुब्रीकेन्ट्स को भी 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के Schedule-IV के कालम-2 में वर्णित वस्तुओं में समाहित कर लिया गया है।

4- आयातकर्ता (Importer) को 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-2 की उपधारा (o) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

“**importer**” means a dealer who brings or receives any goods into the State from any place outside the State and includes a dealer –

(i) who makes first sale of any goods brought or received into the State from any place outside the State; or

(ii) who receives any goods into the State on behalf of any other person from any place outside the State; or

(iii) on whose behalf any goods are received into the State from any place outside the State by any other person;

5- आयातकर्ता की उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें वह डीलर समाहित है जो प्रान्त बाहर से किसी वस्तु का आयात करते हुए प्रान्त में उसकी प्रथम बिक्री करता है। साथ ही इस परिभाषा में ऐसे डीलर को भी समाहित किया गया है जो प्रान्त बाहर से किसी किसी अन्य व्यक्ति के लिए आयातित किसी वस्तु को प्रान्त में प्राप्त करता है अथवा जिसके लिए ऐसी आयातित वस्तुयें प्रान्त के अन्दर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

6- इस प्रकार दिनांक 10-1-2014 को निम्न प्रकार के व्यापारियों के पास लुब्रीकेन्ट्स का स्टॉक होगा-

(1) आयातकर्ता : ऐसे व्यापारियों द्वारा दिनांक 10-1-2014 के बाद इस स्टॉक में उपलब्ध लुब्रीकेन्ट्स की जो भी बिक्री की जाएगी , उस पर 21 प्रतिशत की दर से अथवा इसका निर्माण में प्रयोग करने वाले व्यापारियों को कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अवधारित सर्टीफिकेट के विरुद्ध बिक्री किए जाने पर 5% की दर से कर देना होगा , भले ही उनके द्वारा ऐसे लुब्रीकेन्ट्स की खरीद दिनांक 10-1-2014 के पूर्व की गयी हो। ऐसे व्यापारी के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी कोई बिन्दु निहित नहीं होगा क्योंकि यह बिक्री प्रान्त बाहर से क्रय किए लुब्रीकेन्ट्स की निष्पादित की जा रही है।

(2) निर्माता : लुब्रीकेन्ट्स के निर्माता द्वारा जो भी स्टॉक उनके पास दिनांक 10-1-2014 को उपलब्ध है , उसकी जब भी बिक्री की जाएगी तब उस पर 21 प्रतिशत की दर से अथवा इसका निर्माण में प्रयोग करने वाले व्यापारियों को कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अवधारित सर्टीफिकेट के विरुद्ध बिक्री किए जाने पर 5% की दर से कर देना होगा , भले ही ऐसे लुब्रीकेन्ट्स का निर्माण दिनांक 10-1-2014 के पूर्व किया गया हो। साथ ही ऐसे स्टॉक में उपलब्ध लुब्रीकेन्ट्स के संबंध में प्रयुक्त इनपुट्स के परिप्रेक्ष्य में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा प्राप्त की गयी है ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि भी धारा -13(1) (a) के प्राविधानों तथा नियम 21(1)(q) के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में रिवर्स की जाएगी। उपर्युक्त वर्णित धारा तथा नियम के प्राविधान निम्नवत् हैं -

धारा- 13(1)(a) :

Input tax credit

(1) Subject to provisions of this Act, dealers referred to in the following clauses and holding valid registration certificate under this Act, shall, in respect of taxable goods purchased from within the State and mentioned in such clauses, subject to conditions given therein and such other conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed credit of an amount, as input tax credit, to the extent provided by or under the relevant clause:

(a) Subject to conditions given in column 2, every dealer liable to pay tax, shall, *in respect of all taxable goods except non-vat goods*, capital goods and captive power plant, where such taxable goods are purchased on or after the date of commencement of this Act, be allowed credit of the amount, as input tax credit, to the extent provided in column 3 of the table below:

TABLE

Serial Number	Conditions	Extent of amount of input tax credit
1	2	3
1	If purchased goods are re-sold- (i) inside the State, or (ii) in the course of inter-state trade or commerce; or (iii) in the course of the export of the goods out of the territory of India.	Full amount of input tax
2	If purchased goods are used in manufacture of - (i) <i>any goods except non-vat goods</i> and where such manufactured goods are sold in the course of the export of the goods out of the territory of India; or (ii) <i>any taxable goods except non-vat goods</i> and where such manufactured goods are sold either inside the State or in the course of inter-state trade or commerce	Full amount of input tax
3	If purchased goods are - (i) transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or (ii) used in manufacture of <i>any taxable goods except non-vat goods</i> and such manufactured goods are transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale.	Partial amount of input tax which is in excess of rate prescribed under sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 of the purchase price on which the dealer has paid tax either to the registered selling dealer or to the State Government.

07

नियम- 21(1) (q):

No Credit of any amount of input tax shall be allowed in respect of goods which –
(q) are taxable goods mentioned or described in **column (2) of Schedule-IV.**

(3) ट्रेडर जिसके द्वारा लुब्रीकेन्ट्स की खरीद प्रान्त में ही की गयी है :

ऐसा ट्रेडर जिसके द्वारा लुब्रीकेन्ट्स की खरीद प्रान्त के ही अन्दर से किसी पंजीकृत व्यापारी से की गयी है , उसके पास जो दिनांक 10-1-2014 के आरम्भ में स्टॉक है उसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि ऐसा व्यापारी 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 की उपधारा (u) में परिभाषित " Manufacturer" की परिधि में नहीं आता है क्योंकि उसके द्वारा ऐसा लुब्रीकेन्ट स्वयं किसी निर्माण के प्रोसेस द्वारा नई कमोडिटी के रूप में प्राप्त नहीं किया गया है साथ ही ऐसा व्यापारी 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-2 की उपधारा (o) में परिभाषित "Importer" की श्रेणी में भी नहीं आता है क्योंकि उसके द्वारा ऐसे लुब्रीकेन्ट का आयात प्रान्त बाहर से करते हुए उसकी प्रथम बिक्री निष्पादित नहीं की जा रही है । अतः ऐसे व्यापारी द्वारा दिनांक 10-1-2014 को प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए लुब्रीकेन्ट के उपलब्ध स्टॉक की अग्रेतर बिक्री की जाएगी तो उस लुब्रीकेन्ट पर उपर्युक्त शासकीय अधिसूचना दिनांक 10-1-2014 द्वारा अवधारित करदेयता के बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में कोई करदेयता नहीं होगी । परन्तु चूंकि उसके द्वारा यह अग्रेतर बिक्री नान-वैट गुड्स की निष्पादित की जाएगी अतः ऐसे लुब्रीकेन्ट के संबंध में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसके द्वारा लिया गया है उसे रिवर्स किया जाएगा और उसकी ऐसी राशि की देयता होगी । यह वस्तुस्थिति 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (1) के क्लाज (a) तथा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम 21 के उपनियम (1) के क्लाज(q) के उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

यह पत्र कमिशनर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में प्रेषित है ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ

प्र0प्र0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, 30प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, 30प्र0 शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0 ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र0 ।

- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (8) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (12) महालेखाकार, छाठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि०/ असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, गाजियाबाद।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि०/ असि०कमि० (उ०न्या०कार्य०) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (23) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ०प्र०।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (29) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड०। ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (33) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ।
- (35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से।
- (36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (37) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (38) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (40) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (41) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा० छेदी लाल साधु, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी०एन० राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (45) श्री पी०एस० जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलवाल मण्डी सहारनपुर।

- (47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(50) इन्डियन इण्डोएसो, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
(51) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेंट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ